न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- मुन्नीराम बागड़िया
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 46/2017

फूलचन्द उर्फ हरफूल सिंह पुत्र चुन्नीलाल जाति जाट निवासी सोनासर, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू।

—अपीलार्थी

—बनाम—

1. राधाकिशन पुत्र लक्ष्मण जाति जाट निवासी सोनासर तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।
2. रामोतार पुत्र लक्ष्मण जाति जाट निवासी सोनासर तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।
3. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पीरूसिंह सर्किल,झंझुनू।
4. तहसीलदार, महोदय मलसीसर जिला झुंझुनू।

— रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 28.7.2017
तहसीलदार मलसीसर उनवानी प्रकरण फूलचन्द बनाम राधाकिशन
मु.न. 3/2017,अ. धारा 251 राज. काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति:—

1.श्री विनोद गिल, एडवोकेट ——— ————अपीलान्ट की ओर से ।
2.श्री रफीक खान, एडवोकेट ————————रेस्पोडेन्ट नंबर 1 से 3 की ओर से।
3.श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट————————रेस्पोडेन्ट सं04 की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 21.06.2018

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 15.6.2018 उनवानी प्रकरण फूलचन्द बनाम राधाकिशन मु.न. 3/2017 अ. धारा 251 राज. काश्तकारी अधि. न्यायालय तहसीलदार मलसीसर के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि— अदालत मातहत के समक्ष अपीलार्थी ने अं0धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधि0 के तहत प्रस्तुत किया। अदालत मातहत ने अपीलार्थी की पत्रावली बिना साक्ष्य लिये खारिज कर दी। अदालत मातहत

के समक्ष गिरदावर रिपोर्ट आई थी। उनका अदालत मातहत ने कोई विशलेषण नहीं किया था। अदालत मातहत ने पत्रावली को केम्प का हवाला देकर खारिज कर दिया। अदालत मातहत का निर्णय स्पीकिंग आदेश नहीं है।अपीलार्थी के खेत में जाने के लिये खसरा नंबर 583 में जाने के लिए खसरा नंबर 582 के उतरी सीमा के सहारे–सहारे अपीलार्थी का कदीमि रास्ता रहा है जिसका उपयोग उपभोग अपीलार्थी पूर्वजों के समय से करीब 30 साल से उपयोग उपभोग करता आ रहा है। अदालत मातहत ने सुखाधिकार के तथ्य को समझने की आवश्यकता नहीं समझी। अपीलार्थी के खेत में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। इस तथ्य पर भी अदालत मातहत ने गौर नहीं किया । अदालत मातहत ने अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया, दुर्भावनावश उक्त निर्णय पारित किया है, जो प्रथमदृष्ट्या खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत ने गिरदावर हल्का की रिपोर्ट का कोई विश्लेषण नहीं किया तथा वैकल्पिक रास्ता मौजुद है, इस तथ्य पर गौर नहीं किया। अपीलार्थी के पास मात्र एक ही रास्ता है जो खसरा नंबर 582 के उत्तरी सीमा के सहारे सहारे खसरा नंबर 583 में जाता है। जो ऐ से बी है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, फिर भी अदालत मातहत ने अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित कर गलती कानूनी की है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत दिनांक 28.07.2017 को निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत की पत्रावली में दर्ज ए से बी बिन्दु तक रास्ता खुलवाये जाने का आदेश फरमावें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– अदालत मातहत ने अपीलार्थीगण को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने अपने निर्णय में हल्का पटवारी एवं भू0 अ0निरीक्षक द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट के संबंध में अपने निर्णय में कोई विश्लेषण दर्ज नहीं किया। तहसीदार मौके पर कभी नहीं गया । अगर गया होता तो फर्द मौका रिपोर्ट पत्रावली

पर उपलब्ध होती। अदालत मातहत ने पत्रावली को केम्प का हवाला देकर खारिज कर दिया। अदालत मातहत का निर्णय स्पीकिंग आदेश नहीं है। अपीलार्थी के खेत में जाने के लिये खसरा नंबर 583 में जाने के लिए खसरा नंबर 582 के उतरी सीमा के सहारे–सहारे अपीलार्थी का कदीमि रास्ता रहा है जिसका उपयोग उपभोग अपीलार्थी पूर्वजों के समय से करीब 30 साल से उपयोग उपभोग करता आ रहा है। अदालत मातहत ने सुखाधिकार के तथ्य को समझने की आवश्यकता नहीं समझी। अपीलार्थी के खेत में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अपीलार्थी के पास मात्र एक ही रास्ता है जो खसरा नंबर 582 के उत्तरी सीमा के सहारे –सहारे खसरा नंबर 583 में जाता है। जो ऐ से बी है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि तहसीलदार मलसीसर द्वारा विधिक प्रकिया के तहत हस्तगत निर्णय पारित किया है जिसमें कोई कानूनी त्रुटि । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हल्का पटवारी सोनासर एवं भू0अभिलेख निरीक्षक सोनासर की फर्द मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 20.02.2017 में अंकित किया गया है कि – " **भूमि खसरा नंबर 582 रकबा 1.01 हैक्टर, ख0नं0 581 रकबा की खातेदारी राधाकिशन रामोतार पि0 लक्ष्मण जाति जाट सा0 देह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इन खसरा नंबर के पश्चिम में झुंझुनू मण्ड्रेला रोड़ स्थित है। पूर्वी दिशा में खसरा नंबर 583 रकबा 2.05 हैक्टर स्थित है जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड के अनुसार हरफूल सिंह पुत्र चुन्नीलाल के नाम दर्ज रिकार्ड है, जो अपनी खातेदारी भूमि में आवासीय मकान बनाकर आवास कर रहा है। हरफूल सिंह व अन्य मौतबिरान ने बताया कि 18–19 वर्षों से आबाद है एवं इससे पूर्व भी उक्त खसरा नंबर 583 में आने–जाने का रास्ता खसरा नंबर 582 के उत्तरी दिशा में खसरा नंबर 581 में से होता रहा है। मौके पर उक्त रास्ते में खाई–डोल व छड़ी लगाकर बन्द कर रखा है। हरफूल सिंह के खेत में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं लगता है। खसरा नंबर 581,582 के उतरी दिशा के खातेदार माला पुत्र बस्ती जाति जाट के पुत्र महावीर, रणवीर मौके पर मौजूद मिले जिन्होंने भी हरफूल सिंह के खेत में आने जाने का रास्ता 582 के उतरी दिशा में खसरा नंबर 581 में से**

ही बताया है एवं उपस्थित मौतबिरान ने उक्त रास्ता आने जाने के लिए बताया है। फर्द मौका पढकर सुनाया गया जाकर उपस्थित मौतबिरान के हस्ताक्षर करवाये गये।" उसके बाद हल्का पटवारी सोनासर की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 20.07.2018 के अनुसार–मुताबिक राजस्व रिकार्ड खसरा नंबर 582 रकबा 1.61 हैक्टर राधाकिशन रामोतार पुत्र लक्ष्मण जाति जाट सा0 देह खातेदार के नाम व खसरा नंबर 583 रकबा 2.05 हैक्टर हरफूल सिंह पुत्र चुन्नीलाल जाति जाट सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। मौके पर प्रार्थी खातेदार व पड़ौसी खातेदार मिले। अप्रार्थी खातेदार मौके पर उपस्थित नहीं मिला । मौके पर उपस्थित मौतबिरान ने बताया खसरा नंबर 583, 584 में जाने के लिए खसरा नंबर 582 में से होकर रास्ता जाता है। जो प्रचलित रास्ता है। प्रार्थी खातेदार हरफूल सिंह लगभग 17 वर्षों से अपने खेत खसरा नंबर 583 में मकान बनाकर आबाद है तथा धन पशु व ट्रेक्टर भी रखता है। प्रार्थी खातेदार 17 वर्षों से इसी रास्ते से आता जाता रहा है। वर्तमान में मौके पर राधाकिशन पुत्र लक्ष्मण जाति जाट सोनासर ने खाई डोल व छड़ी लगाकर उक्त रास्ता बंद कर रखा है, जिससे प्रार्थी खातेदार को आने जाने में व ट्रेक्टर लाने –ले जाने में काफी परेशानी हो रही है।'

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर ने हस्तगत निर्णय में हल्का पटवारी एवं भू0 अभिलेख निरीक्षक सोनीसर की दोनों रिपोर्ट को नहीं मानने के संबंध में अपने निर्णय में कोई उल्लेख नहीं किया गया। तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.7.2017 में अंकित किया है कि–तहसीलदार मलसीसर ने स्वयं न्याय आपके द्वारा कैम्प में मौका निरीक्षण किया। मौके पर खसरा नंबर 583, 584 पर कोई कदीमी रास्ते के निशान नहीं है। अतः खसरा नंबर 583 व 584 खातेदारी भूमि है। हस्तगत प्रकरण में रास्ते का विवाद खसरा नंबर 582 के उत्तरी दिशा में स्थित खसरा नंबर 581 में से प्रचलित रास्ता होने या ना होने का प्रश्न था। तहसीलदार ने अपने निर्णय में खसरा नंबर 583 व 584 में कदिमी रास्ते के निशान नहीं होने का अंकन किया है, खसरा नंबर 581 के संबंध में रास्ता प्रचलित होने या नहीं होने के बाबत अपने निर्णय में कोई फाईडिंग नहीं दी है। तहसीलदार मलसीसर ने हल्का पटवारी व भू0अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट जो ग्राम सोनासर के विवादित खेत के पड़ौसी खातेदार मौतबिरान की उपस्थिति में बनाई गई थी और जिस पर पड़ौसी खातेदारान के खसरा नंबर 581 में से अपीलांट हरफूल सिंह के खेत तक आने जाने का प्रचलित रास्ता बताया है। उक्त

रिपोर्ट को तहसीलदार मलसीसर ने नहीं मानकर स्वयं ने विवादित स्थान का मौका देखने और मौके पर प्रचलित रास्ते के कोई निशान नहीं होने का अंकन कर अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है। अगर तहसीलदार मलसीसर ने वादग्रस्त भूमि/रास्ते के संबंध में मौका देखा है तो फर्द मौका रिपोर्ट पत्रावली पर क्यों नहीं है। क्या तहसीलदार मलसीसर ने हल्का पटवारी एवं भू0 अभिलेख निरीक्षक एवं पक्षकारान की या आड़ौसी –पड़ौसी खातेदारान की अनुपस्थिति में वादग्रस्त स्थल का निरीक्षण किया गया है। तहसीलदार मलसीसर द्वारा इस तरह स्वयं द्वारा मौका देखा जाना और फर्द मौका नहीं बनाना, संदेहास्पद प्रतीत होता है । तहसीलदार मलसीसर ने अपने निर्णय में खसरा नंबर 581 में से प्रचलित रास्ते के संबंध में कोई उल्लेख ही नहीं किया, दो लाईन का निर्णय लिखकर निर्णय पारित कर दिया। जब कि अपीलांट एवं हल्का पटवारी एवं भू0अभिलेख निरीक्षक सोनासर की रिपोर्ट जिस पर पड़ौसी खातेदारान के भी हस्ताक्षर हैं ने स्पष्ट अंकित किया है कि अपीलांट 17–18 वर्षों से अपने खेत में आवासीय मकान बनाकर आबाद है और अपने खेत में इसी रास्ते से ट्रेक्टर आदि से काश्त करता रहा है तथा इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं होना बताया है । तहसीलदार ने अपने निर्णय दिनांक 28.7.2017 जो डेढ पेज का निर्णय है जिसपर भी एक प्रथम पेज पर तो हस्ताक्षर करना ही मुनासिब नहीं समझा, जो उनकी घोर लापरवाही का प्रतीक है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.7.2017 मु0न0 03/2017 उनवानी फूलचन्द बनाम राधाकिशन खारिज किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे स्वयं हल्का पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक सोनासर को साथ लेकर पक्षकारा की उपस्थिति में वादग्रस्त भूमि/रास्ते का मौका निरीक्षण करें तथा पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण पुनः दर्ज होने के एक माह की अवधि में प्रकरण का विधिक प्रकिया के अन्तर्गत निस्तारण करें। प्रकरण में पक्षकारान को हिदायत दी जाती है कि आगामी तारीख पेशी दिनांक 04–07–2018 को न्यायालय तहसीलदार मलसीसर में उपस्थित

हों। मिसल अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 21.06.2018को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू